

**OFFICE OF THE COMMISSIONER (LABOUR)  
GOVT. OF NCT OF DELHI  
5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054**

---

F.184/Addl.LC/Holiday-Election/2019/ 6088-6094

Dated: 19/10/2022


**NOTICE**

The Election Commission of India has announced Bye-Election of Assembly Constituency 47-Adampur, Harayana on 03/11/2022.

Subsequently, Office of Chief Electoral Officer, Delhi vide letter no. CEO/COE/10(3)DLA-2019-20/27939-41 dated 14.10.2022 has mentioned that all establishments, Factories, other business establishments in Delhi should ensure that the electors residing in constituency mentioned above and working in different establishments of NCT of Delhi should be granted paid holiday on the day of poll i.e. 03.11.2022, to enable them to cast their vote.

Accordingly, all such employers of Industrial Establishments/Factories /Shops and Commercial Establishments in NCT of Delhi shall grant paid holiday on 03.11.2022 to their employees who are electors of constituency mentioned above to enable them to cast their vote on the day of polling in case scheduled day is a working day for them/electors.

This issues with the approval of Commissioner (Labour)

  
(S.C.Yadav)

Additional Secretary (Labour)

Copy to:-

1. All Employers' Associations/Factory Owners Associations.
2. Election Commission of India.
3. Staff officer to Chief Secretary, GNCTD.
4. Election Officer o/o Chief Electoral Officer, Delhi.
5. All District Joint Labour Commissioners/ Deputy Labour Commissioners and Director -Industrial Safety and Health are directed to inform the Employer's Associations/Factory Owners Associations and Trade Unions.
6. PA to Commissioner (Labour).
7. System Analyst to upload the notice on the website of Labour Department.



HARYANA GOVERNMENT  
LABOUR DEPARTMENT  
NOTIFICATION

21/11/22  
DCEO  
20/10/22 ACEO-FC/4  
2AE

Dated

No. F.W./Election-2022

Whereas the Bye Election- to 47-Adampur Assembly Constituency 2022 for which poll shall be held on the 03.11.2022 (Thursday) as per letter of the Chief Electoral Officer, Haryana issued vide No.333(41)/Paid Holiday/Election-2022/2AE-4583 dated 11.10.2022.

And whereas, it has been considered necessary to provide opportunity to the public to exercise their franchise.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 65 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana is pleased to exempt only those workers who are working in the factories in the State of Haryana and are enrolled as the voters in the 47-Adampur Assembly Constituency where Bye Election is to be held on 03.11.2022 (Thursday) from the operations of provisions of sub-section (1) of section 52 of the said Act, for the week commencing from 06.11.2022 and ending on 12.11.2022, subject to the condition that no adult worker who is enrolled as voter in 47-Adampur Assembly Constituency shall be required or allowed to work on 03.11.2022 (Thursday) in the factories of the state of Haryana.

Dr. RAJA SEKHAR VUNDRU, IAS  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana  
Labour Department

Endst. No. F.W./Election-2022

Dated:

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationary Department, Haryana, Chandigarh with the request to publish this notification in the Haryana Government Gazette (Extra-ordinary). He is further requested to supply 100 copies of this notification to the Chief Inspector of Factories, Haryana.

21  
Addl. Chief Inspector of Factories,  
Haryana, Chandigarh



Endst. No. F.W./Election-2022/1806-1906

Dated: 19-10-2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Chief Electoral Officer, Haryana with reference to the letter no. 333(41)/Paid Holiday/Election-2022/2AE-4583 dated 11.10.2022 .
2. All Administrative Secretaries to Govt. of Haryana.
3. All Divisional Commissioners in the State of Haryana.
4. Registrar General, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
5. All Deputy Commissioners in the State of Haryana.
6. Director, Public Relations Haryana, Chandigarh for giving wide publicity.
7. All Joint Directors, IS&H in the State of Haryana.

8. All Deputy Directors, IH, in the State of Haryana
9. All Deputy Directors, IS&H and Assistant Directors, IS&H in the State to cancel all the notices, as per sub-section(2) of section 52; if received under clause (b) of section 52(1) Factories Act, 1948 for the above said election period.
10. All Assistant Directors, IS&H (Chemical) in the State of Haryana.
11. All Assistant Directors, IH-cum-Certifying Surgeon in the State of Haryana.

  
19/10/22  
Addl. Chief Inspector of Factories,  
Haryana, Chandigarh  


(To be substituted bearing same No. and Date)

**HARYANA GOVERNMENT  
LABOUR DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

Dated:

No. Elec-2022/IR-II/PSCE/Hol/

Whereas, the **By-Election to Legislative Assembly of 47-Adampur Assembly Constituency, 2022 (District Hisar)**, so for which poll shall be held on **03.11.2022 (Thursday)**, as per letter No. 333(41) /Paid Holiday/Ele-2022/2AE- 4583 Dated 11.10.2022 issued by Chief Electoral Officer, Haryana.

And whereas, it is considered necessary to provide opportunity to all the workers/employees working in all Shops and Commercial Establishments to exercise their franchise.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 28 of the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958 (Punjab Act 15 of 1958) and all other enabling powers, the Governor of Haryana hereby fixes "**Thursday**" the **03.11.2022** to be the holiday with wages for all the workers/employees enrolled as voters in **47-Adampur Assembly Constituency, 2022** working in all the shops and commercial establishments within the State of Haryana to enable them to cast their votes.


Dated:18-10-2022

**Rajnarayan Kaushik, IAS**  
**Special Secretary to Government Haryana,**  
**Labour Department.**

Endst. No.Elec-2022/IR-II/PSCE/Hol/

Dated:

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationary Department, Haryana, Panchkula for publication of this notification in the Haryana Government (Extraordinary) Gazette and 10 printed copies of the notification may please be supplied to this department immediately.


  
Joint Labour Commissioner  
for Special Secretary to Government Haryana,  
Labour Department.

Endst. No.Elec-2022/IR-II/PSCE/Hol/ 33998-34097 Dated: 19/10/2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action: -

- ✓ 1. Chief Electoral Officer, Haryana, 30 Bays Building, 3<sup>rd</sup> Floor, Sector-17B, Chandigarh w.r.t No. 333(41) /Paid Holiday/Ele-2022/2AE- 4583 Dated 11.10.2022.
2. Chief Secretary to Government, Haryana (GS-II Branch)
3. Director, Information and Public Relations, Haryana, Chandigarh.
4. Deputy Commissioner, Hisar.

5. Additional Labour Commissioner, NCR. Gurgaon
6. Additional Labour Commissioner, Haryana, Chandigarh (HQ)
7. All Deputy Labour Commissioners, in the State of Haryana.
8. All Assistant Labour Commissioners, in the State of Haryana
9. All Labour Inspectors in the State of Haryana.
10. IT (Cell).

  
Joint Labour Commissioner  
for Special Secretary to Government Haryana,  
Labour Department.

**Election Department, Government of Himachal Pradesh**  
38-SDA Complex, Kasumpti, Shimla-9

---

No: 3-17/2021-ELN -3297

Dated: 22 October, 2022.

From:

Chief Electoral Officer,  
Himachal Pradesh.

To

The Principal Secretary (GAD),  
Govt. of Himachal Pradesh,  
Shimla-171002.

Subject: - Bye-Election to 47-Adampur Assembly Constituency - Grant of Paid Holiday to employees on the day of poll-regarding.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Commission's letter No. 78/EPS/2022, dated 10<sup>th</sup> October, 2022, on the above cited subject, for information and necessary action. The Election Commission of India has announced the Bye-Elections for various States on 3<sup>rd</sup> October, 2022. The poll for the said election will be held in 47-Adampur Assembly Constituency of District Hisar of Haryana on 3<sup>rd</sup> November, 2022. A copy of press note, dated 3<sup>rd</sup> October, 2022 issued by the Commission is also enclosed for reference.

In this regard, your attention is invited towards Section 135 B of the Representation of People Act, 1951 which provides for the grant of paid holiday to every person employed in any business trade, industrial undertaking or any other establishment and entitled to vote at election to the House of the People or the Legislative Assembly of a State shall, on the day of poll, be granted a holiday. The daily waged/casual workers are also entitled for a holiday and wages on poll day as provided in Section 135B of the Representation of People Act, 1951.


Your attention is also drawn to para 3 of the instructions contained in the Commission's aforesaid letter whereby it is clarified that even those electors including casual workers working outside the constituency concerned would be entitled to the benefit of a paid holiday extended under Section 135B(1) of the Representation of People Act, 1951.

As such, the Chief Electoral Officer, Haryana has requested vide its letter No. 333(41)/Paid Holiday/Bye Elec.-2022/2AE-4581, dated 11<sup>th</sup> October, 2022 (copy enclosed) that notification in this regard be issued so that the voters of 47-Adampur Assembly Constituency of Haryana State working in Himachal Pradesh are able to cast their vote.

It is, therefore, requested to take steps to declare 3<sup>rd</sup> November, 2022 as gazetted holiday for the voters of 47-Adampur Assembly Constituency of Haryana State working in Himachal Pradesh. Kindly endorse a copy of Notification so issued to this office also.

Yours faithfully,


Encl: As Above

  
Addl. Chief Electoral Officer,  
Himachal Pradesh.

**Endst.No. 3-17/2021-ELN-3297**      **Dated: 22 October, 2022.**  
Copy is forwarded to:-

1. The Chief Electoral Officer, Haryana for information.
2. The Labour Commissioner-cum-Chief Inspector of Factories, Himachal Pradesh, for information and similar necessary action.
3. All Head of Departments, Central Govt. Departments in Himachal Pradesh, for information and similar necessary action.

Encl: As Above

  
Addl. Chief Electoral Officer  
Himachal Pradesh.

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013 पार्ट


जयपुर, दिनांक: 14.10.2022

- : आदेश :-

हरियाणा राज्य के 47-Adampur विधानसभा क्षेत्र के उप चुनाव, 2022 दिनांक 03.11.2022 (गुरुवार) को सम्पन्न होंगे। अतः भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के ऐसे समस्त कर्मचारी/अधिकारी जो हरियाणा राज्य की 47-Adampur विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, को मतदान दिवस दिनांक 03.11.2022 (गुरुवार) को उनके द्वारा (ऐसे मतदाता द्वारा) आवेदन करने पर संवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु राज्य के समस्त जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)/विभिन्न विभागों/उपक्रमों/बोर्ड/निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

  
(शैली किशानानी)  
विशिष्ट शासन सचिव


कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान  
शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांक प.8(2)(30)निर्वा/2017/9060

जयपुर, दिनांक 18/10/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा को उनके पत्र क्रमांक No. 333(41)/Paid Holiday/Bye Elec.-2022/2AE-4581 दिनांक 11.10.2022 के क्रम में।
4. श्री संजीव कुमार प्रसाद, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

  
विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।



राजस्थान सरकार  
श्रम विभाग

क्रमांक-एफ.14(13)(1)चुनाव/श्रम/विधि/2015/पार्ट-1/27509

जयपुर दिनांक 18/10/2022

**आदेश**

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा हरियाणा राज्य के विधानसभा उप चुनाव-2022 कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि दिनांक 03.11.2022 निश्चित की गई है। (कार्यक्रम की प्रति सलगन है)  
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा। धारा 135 ख निम्न उद्धृत है:-

**135 ख- मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतन अवकाश की मंजूरी-**

- (1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा।
- (2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।
- (3) यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माने से जो 500/- तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

अतः हरियाणा राज्य के विधानसभा उप चुनाव-2022 में हरियाणा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं तथा सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के समस्त जिलों के ऐसे कर्मिक जो हरियाणा राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस दिनांक 03.11.2022, के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं, सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।

(अन्तर सिंह नेहरा)  
श्रम आयुक्त,  
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान  
शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांक प.8(2)(30)निर्वा/2017/9052

जयपुर दिनांक 18/10/22

प्रतिनिधि निम्न को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा को उनके पत्र क्रमांक No. 333(41)/Paid Holiday/Bye Elec-2022/2AE-4581 दिनांक 11.10.2022 के क्रम में।
4. श्री संजीव कुमार प्रसाद, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार  
श्रम विभाग

क्रमांक:-एफ.14(13)(1)चुनाव/श्रम/विधि/2015/पार्ट-1/27509

जयपुर, दिनांक: 18.10.2022

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा हरियाणा राज्य के विधानसभा उप चुनाव-2022 कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि दिनांक 03.11.2022 निश्चित की गई है। (कार्यक्रम की प्रति संलग्न है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा। धारा 135 ख निम्न उद्धृत है:-

"135 ख- मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतन अवकाश की मंजूरी-

- (1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा।
- (2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।
- (3) यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माने से, जो 500/- तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।"

अतः हरियाणा राज्य के विधानसभा उप चुनाव-2022 में हरियाणा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं तथा सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के समस्त जिलों के ऐसे कार्मिक जो हरियाणा राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता है, उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस दिनांक 03.11.2022, के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

17/10/22

(अन्तर सिंह नेहरा)


श्रम आयुक्त,

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एफ.14(13)(1)चुनाव/श्रम/वि०/2015/पार्ट-1/27510-80 जयपुर, दिनांक: 18.10.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर को उनके अ.शा.टीप क्रमांक प. 8(2)(30)निर्वा. / 2017 / 3956 दिनांक 12.10.2022 के क्रम में।
- 2- निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3- संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर
- 4- निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- 5- जिला कलेक्टर (समस्त)
- 6- संयुक्त श्रम आयुक्त/ उप श्रम आयुक्त/ सहायक श्रम आयुक्त/ श्रम कल्याण अधिकारी..... (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे क्षेत्र के सम्बन्धित संस्थानों के नियोजकों को उनके संगठनों तथा प्रेस विज्ञप्ति आदि साधनों के माध्यम से अवगत करावें। श्रमिकों के संगठनों को भी अवगत करावें तथा नियोजकों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करावें।  
यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है तो इसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है।
- 7- गार्ड फत्रावली।

  
संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि)

राज०, जयपुर।

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:--प.13(2)साप्र/2/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 14.10.2022

-- : आदेश :-

हरियाणा राज्य के 47-Adampur विधानसभा क्षेत्र के उप चुनाव, 2022 दिनांक 03.11.2022 (गुरुवार) को सम्पन्न होंगे। अतः भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के ऐसे समस्त कर्मचारी/अधिकारी जो हरियाणा राज्य की 47-Adampur विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, को मतदान दिवस दिनांक 03.11.2022 (गुरुवार) को उनके द्वारा (ऐसे मतदाता द्वारा) आवेदन करने पर संवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु राज्य के समस्त जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर/सी)/विभिन्न विभागों/उपक्रमों/बोर्ड/निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(शैली किशनानी)  
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय (जीजी), मुख्यमंत्री कार्यालय।
9. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
10. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 3955 दिनांक 12.10.2022 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ट शासन सचिवगण।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
13. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर/सी), राजस्थान।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
17. समस्त विभागाध्यक्ष/उपक्रम/निगम/बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान।
18. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
19. सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा को उनके पत्र क्रमांक 4581 दिनांक 11.10.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
20. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान  
शासन सचिवालय, जयपुर।


विषय:- हरियाणा राज्य के विधानसभा उप चुनाव 2022 - मतदान दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि जहाँ मतदान हो रहा है उस क्षेत्र के मतदाता जो अन्य राज्य अथवा क्षेत्र में नियोजित हैं उन्हें मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश दिया जावे। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 10.10.2022 की छायाप्रति संलग्न है।

हरियाणा राज्य के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 4581 दिनांक 11.10.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया है कि हरियाणा राज्य के विधानसभा उप चुनाव, 2021 के लिए मतदान दिनांक 03.11.2022 को सम्पन्न होंगे। अतः राजस्थान राज्य में कार्यरत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो हरियाणा राज्य की 47-Adampur विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पजीकृत मतदाता है, को मतदान दिवस दिनांक 03.11.2022 का संवैतनिक अवकाश दिया जावे।

अतः सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के पत्र दिनांक 11.10.2022 एवं आयोग के पत्र दिनांक 10.10.2022 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि राज्य के समस्त जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) / विभिन्न विभागों / बोर्ड / उपक्रमों / निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को मतदान दिवस दिनांक 03.11.2022 का संवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु प्राधिकृत कराये जाने के लिए आदेश प्रसारित कराने का श्रम करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
(कृष्ण कुणाल) 12/10/22

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव,  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग,  
राजस्थान सरकार, जयपुर।  
अ.शा.टीप क्रमांक प.8(2)(30)निर्वा./2017/3955  
जयपुर दिनांक :- 12/10/22